भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4358

19.07.2019 को उत्तर के लिए

हाथियों का आतंक

4358. श्री नाबा कुमार सरनीया :

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जंगली हाथियों ने असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक में लोगों पर कहर ढाया है क्योंकि उन्होंने अधिकांश गांवों को बर्बाद कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राज्यों में विगत तीन वर्षों के दौरान जंगली हाथियों और भैंसों द्वारा कितने कृषि के क्षेत्र और घरों को नष्ट किया गया और इनमें मारे गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने उन लोगों को कोई मुआवज़ा दिया है जिनके घर नष्ट किये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या असम में हाथियों के कारण उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आवश्यक कदम उठाये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) राज्यों के कुछ भागों में मानव-हाथी संघर्षों की कुछ घटनाओं की रिपोर्टें हैं।

(ख) असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान जंगली हाथियों और गवलों द्वारा बर्बाद किए गए कृषि क्षेत्रों, नष्ट किए गए घरों और मारे गए व्यक्तियों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) जी, हां। सरकार द्वारा उन लोगों को, जिनके घर बर्बाद हुए हैं, प्रदान की गई प्रतिपूर्ति का विवरण नीचे दिया गया है :

लाख रूपये में

वर्ष	**राज्य**		
	असम	**महाराष्ट्र**	**कर्नाटक**
2016-17	222	103.49	709.65
2017-18	103.49	65.52	1370
2018-19	0	857.78	818.02

(घ) जी, नहीं।

(ड.) सरकार द्वारा हाथियों के उत्पात का उपशमन करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

i. मानव-हाथी संघर्ष के मुद्दों का निराकरण करने तथा बंधक हाथियों के कल्याण हेतु हाथियों तथा उनके पर्यावास और कॉरीडोर की सुरक्षा हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम - 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत हाथी बहुल राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

ii. जंगली हाथियों के बेहतर प्रबंधन हेतु महत्वपूर्ण हाथी पर्यावासों को ''हाथी रिजर्वों'' के रूप में अधिसूचित करना।

iii. फसल वाले खेत में जंगली पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए कंटीली तार की बाड़, सौर ऊर्जा से चालित विद्युत बाड़, कैक्टस का प्रयोग करके जैव-बाड़, हाथी रोधी गडढों, चार दीवारी आदि जैसे भौतिक अवरोधकों को लगाना/तैयार करना।

iv. सभी हाथी बहुल राज्यों को इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 06.10.2017 को जारी किए गए मानव हाथी संघर्ष के प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित करने का निदेश दिया गया है।

v. हाथी पर्यावासों को सम्पन्न बनाने के लिए जल स्रोतों के सृजन, फलदार वृक्षों के रोपण, चरागाह विकास, अग्नि से रक्षा आदि जैसे कार्य किए जा रहे हैं मंत्रालय संरक्षित क्षेत्रों के अंदर शाकभक्षियों के लिए चारे और पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए संरक्षित क्षेत्रों में चारा तथा पानी को बढ़ाने हेतु प्रतिपूरक वनीकरण निधियों से एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है ताकि जानवरों को उनके पर्यावासों में रोका जा सके।

vi. राज्य वन विभागों के फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ द्वारा हाथी क्षेत्रों की नियमित और व्यापक गश्त की जाती है ताकि हाथियों को उनके पर्यावास में रोका जा सके।

vii. मानव-हाथी संघर्ष को कम करने और हाथियों को प्रतिशोध स्वरूप मारे जाने को रोकने के लिए- स्थानीय समुदायों को जंगली हाथियों द्वारा उनकी सम्पत्ति को पहुंचाए जाने वाले नुकसान और मारे जाने की क्षतिपूर्ति की जाती है।

viii. वन विभाग, हाथियों के आवागमन को जानने तथा मानव-पशु संघर्ष को रोकने के लिए स्थानीय लोगों को सावधान करने तथा हाथियों को उनके प्राकृतिक पर्यावास में रोकने के लिए पशु खोजी के रूप में स्थानीय समुदायों को नियुक्त करता है।

ix. भारतीय वन्यजीव संस्थान ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और विश्व बैंक समूह के परामर्श से रेखीय अवसंरचना को डिजाइन करने में एक ऐसी रीति से परियोजना अभिकरणों को सहायता देने के लिए 'रेखीय अवसंरचना के प्रभावों को कम करने के लिए पारि-अनुकूल उपाय' नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया है, जिससे उन क्षेत्रों में मानव-पशु संघर्ष कम होगा जिनमें ये रेखीय अवसंरचनाएं संरक्षित क्षेत्रों और अन्य वन्यजीव क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं।

*****

अनुबंध

'हाथियों के आतंक' के बारे में श्री नाबा कुमार सरनीया और श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक द्वारा पूछे गए दिनांक 19.07.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4358 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान जंगली हाथियों और गवलों द्वारा नष्ट किए गए कृषि क्षेत्रों तथा घरों और मारे गए व्यक्तियों का विवरण

वर्ष	असम		
	नष्ट किए गए कृषि क्षेत्र	नष्ट किए गए घरों की संख्या	मारे गए लोग
2016-17	767.26 हेक्टेयर	1752 संख्या	136
2017-18	313.73 हेक्टेयर	1021 संख्या	83
2018-19	754.89 हेक्टेयर	2034 संख्या	86

वर्ष	महाराष्ट्र	
	नष्ट किए गए घरों तथा कृषि क्षेत्रों के मामलों की संख्या	मारे गए लोग
2016-17	4321 संख्या	2
2017-18	4052 संख्या	0
2018-19	4869 संख्या	1

वर्ष	कर्नाटक		
	फसल की बर्बादी के मामलों की संख्या	संपत्ति की बर्बादी के मामलों की संख्या	मारे गए लोग
2016-17	18985 संख्या	81 संख्या	38
2017-18	27,525 संख्या	159 संख्या	23
2018-19	19,913 संख्या	126 संख्या	13